कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

11.01.2022

"सलाहकार (प्राकृतिक कृषि उत्पाद)" के पद के लिए कार्य का क्षेत्र

एपीडा में सलाहकार (प्राकृतिक कृषि उत्पाद) की सेवाएं लेने पर विचार किया जा रहा है।

यह पद दो वर्ष (विस्तार योग्य) की अवधि के लिए अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरा जा रहा है।

आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन को प्रस्तुत किया जाए। एक से अधिक आवेदन करने पर उसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

केवल आवेदन जमा करने से आवेदक को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की पुष्टि नहीं होती है।

आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए।

आवेदन को एक लिफाफे में रख कर उस लिफाफे पर **"सलाहकार (प्राकृतिक कृषि उत्पाद) के पद के लिए आवेदन"** लिखें। इस लिफाफे को रजिस्टर्ड पोस्ट/ स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित पते पर **31 जनवरी, 2022 को शाम 5:30 बजे** तक भेंजे:-
महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासनिक),
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सिरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली-110016

उम्मीदवार भरे हुए आवेदन पत्र को **"सलाहकार (प्राकृतिक कृषि उत्पाद) के पद के लिए आवेदन"** शीर्षक लिख कर ssnayyar@apeda.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

सक्षम प्राधिकारी के पास अपने विवेक से किसी भी आवेदन / उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में आवेदक से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

अपूर्ण / अहस्ताक्षरित आवेदन और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को उम्मीदवार को कोई सूचना दिए बिना सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

गलत घोषणा/झूठी जानकारी जमा करने या कानून के विपरीत कोई अन्य कार्रवाई होने की स्थिति में किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

नियुक्ति, योग्यता, अनुभव आदि के लिए स्थिति और नियम एवं शर्तों का विवरण निम्नानुसार है:

01	**पद का नाम**	**सलाहकार (प्राकृतिक कृषि उत्पाद)**
02	पदों की संख्या	01
03	नियुक्ति की प्रणाली	शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट
04	कॉन्ट्रैक्ट की अवधि	दो वर्ष (विस्तार योग्य)
05	शैक्षिक योग्यता अनिवार्य वांछनीय योग्यता अनुभव	कृषि में मास्टर डिग्री प्रासंगिक विषय कृषि में पीएचडी मास्टर डिग्री जैविक खेती / अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानक / प्राकृतिक कृषि उत्पाद, खेती / पर्माकल्चर / ZNBF आदि के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। जैविक कृषि / प्राकृतिक कृषि प्रणालियों में एडवांस्ड सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा, जैविक कृषि और संबंधित जैविक / जैव खाद्य उत्पादन और विपणन में प्रोफेशनल अनुभव। सरकार, संयुक्त राष्ट्र संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों / कंपनियों के साथ जैविक कृषि / प्राकृतिक कृषि विकास परियोजनाओं / कार्यक्रमों के निर्माण में व्यापक अनुभव। सलाहकार में दृष्टिकोण और कार्यनीति निर्धारित करने और संवाद करने की क्षमता के साथ मजबूत नेतृत्व और टीम बिल्डिंग स्किल हो। सभी को एक मत करने, संचार और नेतृत्व कौशल सहित टीमों के सदस्य के रूप में नेतृत्व करने और काम करने की क्षमता हो। सलाहकार में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, जनसाधारण समूहों और डॉनर्स सहित सभी स्तरों पर लोगों की एक श्रृंखला के साथ मिलकर काम करने की क्षमता हो। सिविल सोसाइटी नेटवर्क में काम करने के अनुभव को एक अतिरिक्त लाभ माना जाएगा। सलाहकार के पास उत्कृष्ट संचार, विश्लेषणात्मक और लेखन कौशल हो

		- समय के दबाव में लिखने की क्षमता, संक्षिप्त, तार्किक रूप से संरचित एवं एक स्थापित रूपरेखा और प्रारूप का उपयोग करके टू द प्वाइंट रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता हो और कार्यक्रमों और परियोजनाओं को तार्किक रूप से अवधारणाबद्ध करने की क्षमता हो। कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हो।
06	आयु	50 वर्ष (न्यूनतम) 60 वर्ष (अधिकतम)
07	पारिश्रमिक (प्रति माह)	₹1.10 लाख (10% की वार्षिक वृद्धि)

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (डाक द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या ई-मेल द्वारा) : **31 जनवरी, 2022- शाम 5:30 बजे**

आवेदन फॉर्म

1. जिस पद के लिए आवेदन किया गया (बड़े अक्षरों में)	
2. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
3. पिता/ पति का नाम	
4. वैवाहिक स्थिति	
5. संपर्क हेतु वर्तमान डाक पता (पिन कोड के साथ बड़े अक्षरों में)	
6. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड) मोबाइल नं. ई-मेल आईडी	
7. स्थाई पता	
8. जन्म तिथि	
9. राष्ट्रीयता	
10. श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी)	

11. **शैक्षिक योग्यता:** जैविक खेती / प्राकृतिक खेती / पर्माकल्चर / ZNBF आदि में स्नातक और कोई अन्य प्रोफेशनल कोर्स, डिप्लोमा

परीक्षा / डिग्री	विश्वविद्यालय/संस्था बोर्ड	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्त डिवीजन	प्रमुख विषय स्पेशलाइज़ेशन / मुख्य

12. अनुभव (कृपया नवीनतम से शुरू करें):

नियोक्ता का नाम	पद	अवधि		ग्रेड पे और बेसिक पे / सीटीसी के साथ वेतनमान / वेतन बैंड	कार्य की प्रकृति (यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग शीट संलग्न करें)

13. जैविक कृषि / प्राकृतिक खेती या संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया या आयोजित लिया गया:	
14. अब तक पूर्ण की गई जैविक कृषि/प्राकृतिक खेती से संबंधित परियोजना का विवरण	

15. व्यावसायिक निकायों, जैविक कृषि / प्राकृतिक खेती या संबंधित क्षेत्र से संबंधित संघ की पिछली और वर्तमान सदस्यता	
16. क्या आपको कभी किसी पद से बर्खास्त/दंड/निलंबित किया गया है? यदि हां, तो कारण बताएं:	
17. अपने पिछले और वर्तमान कार्य/जैविक कृषि/प्राकृतिक कृषि क्षेत्र में भागीदारी पर एक नोट लिखें और आप कैसे प्राकृतिक कृषि उपज के विकास और भारत से इसके नि र्यात में योगदान करने में सक्षम होंगे (न्यूनतम 500/1500 शब्द):	

घोषणा:

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि किसी भी समय मेरे द्वारा उपलब्ध किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया/गलत पाया जाता है, मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति को बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर समाप्त कर दिया जाएगा।

नाम:

स्थान:
तिथि:

"सलाहकार (प्राकृतिक कृषि उत्पाद)" के पद के लिए कार्य का क्षेत्र

अध्यक्ष एपीडा के समग्र पर्यवेक्षण में; महाप्रबंधक एपीडा और वाणिज्य, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वित्त संबंधित विकास भागीदार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां जिनमें एफएओ, यूएनटीएसीडी, यूएनईपी, आईएफएडी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और विकास संगठन के साथ प्रत्यक्ष तकनीकी पर्यवेक्षण और निकट सहयोग में सलाहकार द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कार्यों सहित भारत में प्राकृतिक खेती, खाद्य और वस्तुओं और निर्यात के लिए उसकी क्षमता का आकलन और स्टॉकटेकिंग की जाएगी:

- भारत में किसानों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक कृषि विधियों जैसे कि पर्माकल्चर, बायो डायनेमिक, जीरो टिलेज, जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZNBF), सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती (SPNF), जलवायु स्मार्ट कृषि और मुख्य भारत में प्राकृतिक खाद्य और वस्तुओं की विशेषताएं, इसकी बाधाएं और निर्यात की संभावनाओं की समीक्षा, सत्यापन और दस्तावेज़ीकरण।

- भारत में प्राकृतिक खेती, खाद्य और वस्तुओं से संबंधित उत्पादन, मांग एवं खपत और निर्यात के लिए इसकी क्षमता पर पृष्ठभूमि प्रलेखन की समीक्षा का कार्य करना।

- भारत में प्राकृतिक खेती, खाद्य और वस्तुओं के संबंधित संस्थागत हितधारक ढांचे; नीतियों और विनियमों सहित; सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र, किसान समुदायों और समूहों, और प्राइवेट बिज़नेस परिवेश से संबंधित और/या लगी हुई संस्थाओं की समीक्षा और सत्यापन।

- पूरे भारत में प्राकृतिक खेती संदेश प्राप्त करने के लिए प्रमुख हितधारकों, अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों की पहचान करना और उनके साथ काम करना। साथ ही बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संयुक्त पहल विकसित करना।

- विभिन्न राज्यों, गैर सरकारी संगठनों, किसान समूहों, एफपीओ आदि द्वारा की गई प्राकृतिक खेती से संबंधित पहलों के संवर्धन में सहायता करना।

- भारतीय प्राकृतिक खाद्य और वस्तुओं के रूप में निर्यात के लिए संभावित भारत में वर्तमान में उत्पादित सबसे प्रासंगिक वस्तुओं की राज्यवार सर्वोत्तम उत्पादन / मूल्य श्रृंखला तैयार करना।

- भारत में प्राकृतिक खेती, खाद्य और वस्तुओं में केंद्र/राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र, कृषक समुदायों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित हितधारकों द्वारा प्रासंगिक संवर्धन और/या सहायक गतिविधियों और पहलों का आकलन करना।

- भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक कृषि विधियों के तहत अपनाने के लिए प्राकृतिक खेती, मानदंडों और विनियमों के साथ-साथ प्रमाणन विधियों, ब्रांडिंग और लेबलिंग और भारत में इसके आवेदन के लिए वास्तविक और संभावित रूप से प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समीक्षा और सत्यापन करना।

- मूल्य श्रृंखला के साथ और उपभोक्ताओं तक सभी संभावित और वास्तविक हितधारकों के साथ प्राकृतिक खेती, खाद्य और वस्तुओं के बारे में जागरूकता और ज्ञान की स्थिति का सत्यापन और मूल्यांकन करें।

- भारत से प्राकृतिक खाद्य और वस्तुओं के निर्यात के लिए प्राकृतिक खेती पर नेशनल मिशन मोड फ्रेमवर्क की स्थापना करके विभिन्न फ्रेमवर्क को रिपेयर करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श।

    1) प्राकृतिक खेती के भारतीय मानकों के दस्तावेजीकरण के लिए विभिन्न समितियों के गठन और ऐसी समितियों के लिए कार्यों को परिभाषित करने की अनुवाई करे। विभिन्न समितियों के लिए टीओआर तैयार करना और विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में विशेषज्ञों के चयन में सलाह देना।
    2) प्राकृतिक खेती जैसे इसकी कानूनी परिभाषाएं, दर्शन, फसल उत्पादन के लिए मानक सेटिंग, पशु उत्पादन, प्राकृतिक शहद, प्राकृतिक मत्स्य पालन, जंगली संग्रह, प्राकृतिक वस्तुओं के लिए मानक अन्य खाद्य, प्रसंस्करण, हैंडलिंग, भंडारण, परिवहन आदि के भारतीय मानकों के दस्तावेजीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं बनाना।
    3) भारतीय प्राकृतिक कृषि मानकों का पालन करके उत्पादित प्राकृतिक उत्पादों का निरीक्षण और प्रमाणन ढांचा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों, मानदंडों और विनियमों के अनुरूप प्रमाणन विधियों, ब्रांडिंग और लेबलिंग इत्यादि विकसित करना।
    4) राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की स्थापना हेतु विभिन्न समितियों के कार्यकरण हेतु बजट तैयार करना।

- प्रासंगिक हितधारकों और संस्थानों के साथ बैठकें करें। भारतीय प्राकृतिक कृषि मानकों को अंतिम रूप देने के लिए ब्रीफिंग कार्यशालाओं की सुविधा प्रदान करें।

- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परिचालन योजना और वार्षिक बजट तैयार करना और त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

- मीडिया के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना,

- अनुसंधान सहयोग को संवर्धन करने में फोकस, साक्ष्य निर्माण के लिए आवश्यक अनुसंधान ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहित करे।

- जमीनी/अनुसंधान और सरकारों, फंडर्स, द्विपक्षीय कार्यक्रमों से उभरने वाले अवसरों से उभरते हुए रणनीतिक निष्कर्षों का संश्लेषण करना और उन्हें नीति, कार्यक्रम निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल करना।

- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण**

    1. प्राकृतिक खेती में राज्य सरकार के अधिकारियों/निर्यातकों/किसानों/कृषि विश्वविद्यालयों आदि के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सुविधा प्रदान करना,
    2. किसानों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय प्राकृतिक कृषि मानकों के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय करना

- **आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना**

हितधारकों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन पर आउटरीच और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।

प्रमाणित प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बाजार संवर्धन; आयात करने वाले देशों में खाद्य और अन्य वस्तुएं

क. आयात करने वाले देशों में प्रमाणित प्राकृतिक कृषि उत्पादों; खाद्य और अन्य वस्तुओं के लिए बाजार संवर्धन

ख. प्राकृतिक उत्पादों के निर्यातकों और आयातकों के साथ बैठकें, संवर्धन कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, बीएसएम आदि बी2बी बैठक आयोजित करना

ग. वर्तमान कोविड स्थिति के दौरान वर्चुअल बायर सेलर मीट के माध्यम से दूर से आयातकों से जुड़ना

घ. भारतीय प्राकृतिक उत्पादों; भोजन और अन्य वस्तुओं के लिए नए बाजारों की खोज

ङ. फोकस उत्पादों और गंतव्य के लिए देश विशिष्ट व्यावधान

च. फोकस गंतव्यों का बाजार सर्वेक्षण उद्योग समेकन / प्रतिक्रिया देना

छ. प्राकृतिक उत्पादों को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए व्यापार मेलों की पहचान करना और भारतीय किसानों/निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित करना

ज. प्राकृतिक उत्पादों; भोजन और अन्य कमोडिटीज़ के लिए गंतव्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल के लिए प्रस्ताव तैयार करना। निर्यात संवर्धन, व्यापार मेलों में भागीदारी, उत्पाद संवर्धन करना

झ. उन प्राकृतिक उत्पादों; खाद्य और अन्य वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच और समकक्षता हेतु संभावित देशों की पहचान करना जिन्हें निर्यात आदि के लिए प्रेरित किया जा सकता है

- **प्रत्यक्ष विपणन के लिए ई बाजारों का विकास**

क. प्राकृतिक उत्पादों; खाद्य और अन्य वस्तुओं की ऑनलाइन नीलामी और स्पॉट ट्रेडिंग के लिए ई-कॉमर्स बी2बी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से निर्यात के लिए नए प्लेटफॉर्म की खोज करना।

ख. अवधारणा नोट तैयार करना, सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करना आदि।

- **ब्रांडिंग और प्रचार**

क. प्राकृतिक उत्पादों; खाद्य और अन्य वस्तुओं पर प्रकाशन के लिए सामग्री तैयार करना और देश के भीतर और आयात करने वाले देशों में इसे न्यूज़लेटर, बुलेटिन, ई कैटलॉग, कॉफी टेबल बुक आदि के माध्यम से प्रसारित करना।

ख. भारतीय प्राकृतिक उत्पादों, खाद्य और अन्य वस्तुओं को भारतीय ब्रांड के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए लोगो का प्रचार करना।

ग. भारतीय प्राकृतिक उत्पादों; खाद्य और अन्य वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए सामाजिक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रचार, प्रेस विज्ञप्ति आदि के लिए सामग्री तैयार करना।

घ. भारत में भारतीय प्राकृतिक उत्पादों; खाद्य और अन्य वस्तुओं की अपने मूल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुंचने की यात्रा पर विभिन्न राज्यों से केस स्टडी का विकास करना।

ङ. प्रदर्शन और प्रचार के लिए हवाई अड्डों, मॉल और त्योहारों पर भारतीय प्राकृतिक उत्पादों; खाद्य और अन्य वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभाग, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना।

- **परियोजना प्रस्ताव और अध्ययन**

क. भारतीय प्राकृतिक उत्पादों; खाद्य और अन्य वस्तुओं के लिए परियोजना मोड प्रस्तावों का विकास करना।

ख. भारतीय प्राकृतिक उत्पादों; खाद्य और अन्य वस्तुओं पर एपीडा द्वारा / एपीडा के समर्थन से किए गए किसी भी अध्ययन का पर्यवेक्षण करना।

- **भारतीय प्राकृतिक उत्पादों; खाद्य और अन्य वस्तुओं का निर्यात**

भारतीय प्राकृतिक उत्पादों, खाद्य और अन्य वस्तुओं के फ्लेग ऑफ/लदान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों एपीडा के साथ समन्वय करना।

- **दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्ट**

क. दस्तावेजी और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, केस स्टडी, अवधारणा नोट्स, निर्यात विश्लेषण आदि तैयार करना।

ख. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ प्राकृतिक उत्पादों के लिए भारतीय मानकों का सामंजस्य करना।

ग. कोई अन्य कार्य/गतिविधि जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है लेकिन कार्य के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मानी जाती है, को कार्य के दायरे का हिस्सा माना जाएगा।

****